झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन।

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर, फुलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका, मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू तथा शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग के विभिन्न विभागों में विभागवार प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के रिक्त पदों पर **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागवार प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक पद के रिक्ति की विवरणी निम्नांकित है जो अधिक / कम हो सकते है।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह–प्राध्यापक			
		कुल रिक्ति	UR	ST	SC	कुल रिक्ति	UR	ST	SC
1	एनाटोमी	0	0	0	0	05	02	02	01
2	फिजियोलॉजी	05	02	0	03	04	01	02	01
3	बायोकेमेस्ट्री	01	0	01	0	01	0	0	01
4	पैथोलॉजी	03	0	02	01	04	0	03	01
5	माईक्रोबायोलॉजी	03	01	01	01	02	0	01	01
6	एफ0एम0टी0	04	03	01	0	01	0	01	0
7	फार्माकोलॉजी	03	0	02	01	01	0	01	0
8	पी0एस0एम0	03	01	02	0	03	0	02	01
9	औषधि	01	0	0	01	08	03	03	02
10	टी0वी0 एण्ड चेस्ट	0	0	0	0	01	0	01	0
11	शिशु रोग	01	0	01	0	01	0	01	0
12	सर्जरी	01	0	0	01	01	0	0	01
13	अस्थि	02	0	01	01	01	0	01	0
14	ई0एन0टी0	04	02	02	0	02	0	01	01
15	नेत्र	02	0	02	0	04	01	03	0
16	स्त्री एवं प्रसव	01	0	01	0	0	0	0	0
17	निश्चेतना	02	0	01	01	06	01	04	01
18	रक्त अधिकोष	04	03	01	0	0	0	0	0
19	दन्त	0	0	0	0	02	0	01	01
20	चर्म एवं यौन रोग	0	0	0	0	03	02	01	0
21	साईकेट्री	0	0	0	0	02	01	01	0
22	रेडियोथेरपी	0	0	0	0	06	04	01	01
23	रेडियोलॉजी	0	0	0	0	06	04	01	01
	Total	**40**	**12**	**18**	**10**	**64**	**19**	**31**	**14**

2. अर्हता :– प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु एम0सी0आई / एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव लागू होगा।
3. चयन का आधार :– **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु गठित चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्संबंधी अभिलेखों की जाँच की जायेगी। तदनुसार विभागवार रिक्ति के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा की जायेगी।
4. नियुक्ति की शर्तें :–
   a) प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने के लिए एम0सी0आई / एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
   b) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर पदधारकों को समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।
   c) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पद पर संविदा आधारित सेवाएँ अधिकतम 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति, जो पहले हो, तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक होगी।
   d) 02 वर्ष की संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत उनके **Performance** का मूल्यांकन संतोशजनक पाये जाने पर आगामी वर्षो हेतु एक बार में एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
   e) संविदा आधारित यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी एवं संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में नियमित नियुक्ति एवं अन्य सुविधाओं का दावा नहीं किया जायेगा।
   f) अवकाश :– संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
   g) किसी चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक का स्थानांतरण किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नहीं किया जायेगा।
   h) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के उतने ही पद इस व्यवस्था से भरें जायेंगे जितना नितान्त आवश्यक होगा। इन पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आरक्षण प्रतिशत का अनुपालन किया जायेगा।
   i) वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिशद् द्वारा लिए गए निर्ण के अनुसार संविदा राशि निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प–407 (9) दिनांक 02.09.2021 एवं विभागीय अधिसूचना 357 (9) दिनांक 30.07.2024 के आलोक में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त पद धारक को मानदेय– प्राध्यापक 2,50,000 / – (दो लाख पचास हजार रूपये) एवं सह–प्राध्यापक 2,00,000 / – (दो लाख रूपये) देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा।
5. अधिकतम उम्र सीमा :– संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा सभी वर्गो के लिए 70 वर्ष होगी।
6. रिक्त पदों पर वाक–इन–इन्टरव्यू रिम्स, राँची के प्रशासनिक भवन में निम्नांकित तिथियों में सम्पन्न होगा :–

क्र0सं0	पदनाम	दिनांक	समय
01	प्राध्यापक	04 / 10 / 2024	पूर्वाहन 10:30 बजे से
02	सह–प्राध्यापक	05 / 10 / 2024	पूर्वाहन 10:30 बजे से

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार वेबसाईट :– **www.jharkhand.gov.in/health** के अन्तर्गत **Recruitment** पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्णरूपेण भर कर, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ वाक–इन–इन्टरव्यू आयोजन की तिथि पर ससमय भाग लेंगे।
8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेश रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,झारखंड, राँची

PR 337247 Health Med Edu and Family Welfare(24-25)D